राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1047/2010/जयपुर
अपील संख्या 1048/2010/जयपुर
मैसर्स एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड
जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–बी,जयपुर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित :
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 16.02.2016

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त(अपील्स)पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 32 व 36/अपी–।।/2008–09/जे.पी.बी. में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 18.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं,, जिसके द्वारा उन्होंने, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा)की धारा 29 एवं 37 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 एवं 30.03.2008 के अन्तर्गत ब्याज रू. 78,834/–आरोपित किया है,जिसको यथावत रखा है। चूँकि दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रूपे रखी जायें।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के वर्ष 2004–05 का कर निर्धारण करते समय जानकारी में आया कि अपीलार्थी द्वारा बुलियन व सर्राफा की कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत देय कर की किश्तें प्रत्येक माह की 7 तारीख को जमा करानी थी,जिनको विलम्ब से जमा कराया गया है अतः अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज की देयता बनती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2007 पारित करते हुए अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 78,834/–आरोपित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रशमन राशि की निर्धारित किश्त 7 तारीख के पश्चात जमा कराये जाने के कारण विलम्ब के दिनों के लिए आरोपित ब्याज रू. 78,834/–को यथावत रखा है, जिसके विरूद्ध अपील संख्या 1047/10/जयपुर प्रस्तुत की गई है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2007 में संशोधन हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने संशोधन प्रार्थन पत्र अस्वीकार किया है,जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने दिनांक 18.03.2010 को निस्तारण करते हुए अपील अस्वीकार की है,जिसके विरूद्ध अपील संख्या 1048/10/जयपुर प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रशमन स्कीम के स्लैब 13 के अनुसार 100 करोड से 250 करोड की बिक्री अनुमानित करते हुए अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया था व रू. 5,00,000/–की राशि का ड्राफ्ट दिनांक 28.07.2004 को जमा करया गया था। उनका कथन है कि आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान अपीलार्थी द्वारा वर्ष की बिक्री के आधार पर कुल एक करोड रू. की राशि की किश्तें माहवारी रूप से जमा कराई गई है तथा सर्राफा स्कीम के क्लॉज 4.2 के अनुसार मासिक किश्त प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा कराई जानी थी व जो अन्तर रहता है उसे वर्ष की समाप्ति पर 30 अप्रैल तक जमा कराया जा सकता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा देय समस्त किश्तें प्रत्येक माह में जमा कराई गई हैं व वर्ष के अन्त में कोई राशि जमा कराने योग्य नहं रहती है इसलिए देय किश्ते समय पर जमा कराए जाने के आधार पर ब्याज का अरोपण अनुचित है। उक्त कथन के आधार पर उन्होंने दोनों अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रशमन राशि की किश्ते प्रत्येक माह की 7 तारीख को जमा करायी जानी थी किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रशमन राशि की किश्तें 7 तारीख के पश्चात जमा करायी गयी है,जिसके विलम्ब के लिए के ब्याज की देयता बनती है और उसी के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज रू. 78,834/–आरोपित किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीार्थी व्यवहारी द्वारा प्रशमन राशि की किश्तें प्रत्येक माह की 7 तारीख को जमा कराया जाना था किन्तु उसके द्वारा किश्तें 7 तारीख के पश्चाज जमा कराये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब के दिनों की गणना करके अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 78,834/–आरोपित किया गया है।

सर्राफा एवं बुलियन स्कीम के क्लॉज 4.2 के अनुसार कम्पोजीशन राशि 6 लाख से ऊपर होने पर 12 समान किश्तों में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक किश्त जमा कराई जानी थी किन्तु अपीलार्थी ने किश्तें 7 तारीख के पश्चात जमा कराई गई । कर निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब से जमा कराई किश्तों के दिनों की गणना करते हुए (जिसका स्पष्ट उल्लेख कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2007 में किया है) ब्याज आरोपित किया है, जो पूर्णतया विधिक है, क्योंकि विलम्ब से जमा कराई राशि पर स्वमेव ब्याज आकर्षित होता है इसलिए अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित किया गया ब्याज रू. 78,834/–उचित है,जिसको अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में विवेचन करते हुए यथावत रखा है। अतः तथ्यों के उक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 1047/2010/जयपुर अस्वीकार की जाती है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश 30.03.2007 में संशोधन करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया,जिस पर विचार करने के पश्चात संशोधन प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 30.03.2008 को अस्वीकार किया गया है,जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार की है। हस्तगत करणों में मूल कर निर्धारण आदेश में आरोपित ब्याज को यथावत रखते हुए अपील संख्या 1047/2010/जयपुर अस्वीकार की है, तो अपील संख्या 1048/2010/जयपुर स्वतः अस्वीकार हो जाती है।

फलतः प्रकरणों के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य